

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 359]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 अगस्त 2016—भाद्र 5, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2016

क्र. 13932-237-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26 अगस्त, 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०१६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१६

[दिनांक २६ अगस्त, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २७ अगस्त, २०१६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१६ है.

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में अनुक्रमांक २० तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
“२१.	जी. एच. रायसोनी विश्वविद्यालय	जी.एच.आर. सन्स एज्यूकेशनल एंड मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन, 345, श्रद्धा हाउस, किंग्सवे, नागपुर	कम्पनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) की धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी	जी. एच. रायसोनी विश्वविद्यालय, मउजा ग्राम धोधाबोरगांव, ग्राम साईंखेड़ा, तहसील सौंसर, जिला छिंदवाड़ा	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२२.	डी. सी. विश्वविद्यालय, इन्दौर.	डेली कालेज सोसाइटी १, रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	डी. सी. विश्वविद्यालय १, रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२३.	सिम्बायोसिस यूनीवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइन्सेज, इन्दौर	सिम्बायोसिस फाउण्डेशन, नई दिल्ली	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (१८६० का २१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	सिम्बायोसिस यूनीवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइन्सेज, बड़ा बानगड्डा, तहसील हातोद, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश”.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक २ सन् २०१६) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2016

क्र. 13932-237-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, 2016 (क्रमांक 23 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 23 OF 2016

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2016

[Received the assent of the Governor on the 26th August, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th August, 2016.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhiniyam, 2016. **Short title.**

2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007) after serial number 20 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:— **Amendment of Schedule.**

S. No. (1)	Name of Private University (2)	Name of sponsoring body (3)	Mode of forming sponsoring body (4)	Main campus (5)	Jurisdiction (6)
21.	G. H. Raison University	GHR Sons Educational and Medical Research Foundation, 345, Shradha House, Kingsway, Nagpur	Company Registered Under Section 25 of the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956)	G. H. Raison University, Mouza Gram Dhodhorgaon, Village Saikheda, Tehsil Saunsar, District Chhindwara	Whole of Madhya Pradesh
22.	D. C. University, Indore	Daly College Society, 1, Residency Area, Indore	Registered under the Madhya Pradesh Societies Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973)	D. C. University, 1, Residency Area, Indore	Whole of Madhya Pradesh
23.	Symbiosis University of Applied Sciences, Indore	Symbiosis Foundation, New Delhi	Registered Society Under the Societies Registration Act, 1860 (No. 21 of 1860)	Symbiosis University, of Applied Sciences, Bada Bangadda, Tahsil-Hatod, Indore	Whole of Madhya Pradesh

3. (1) The Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesh, 2016 (No. 2 of 2016) is hereby repealed. **Repeal and Saving.**

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have done or taken under the corresponding provisions of this Act.